<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</u>
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2008/00072 (32/2008)

1. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ
2. सहायक अभियन्ता घग्घर जल संसाधन उपखण्ड हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्राज (फौत) दिनांक 03.05.2011
   - 1/1 कलावती देवी पत्नी स्व0 श्री इन्द्राज
   - 1/2 महेन्द्र पुत्र इन्द्राज
   - 1/3 विजय पुत्र इन्द्राज
   - 1/4 सुनीता पुत्री इन्द्राज

   (1/1 से 1/3) जाति जाट (निवाद) निवासीयान गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

2. हन्सराज (फौत)
3. बलवीर सिह
4. दयाराम

   (2 से 4) पुत्रगण रामलाल जाति जाट (निवासद) निवासीयान गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ (चक 18 एमओडी)

5. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा
6. बिरमा देवी पत्नी श्री हंसराज
7. राकेश कुमार पुत्र हंसराज
8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज

   (6 से 8) जाति जाट निवासीयान गोलूवाला निवादान (चक 18एम.ओ.डी.) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडैन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:37 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री सहायक कल[illegible] खण्डाधिकारी, पीलीबंगा, दिनांक 19.03.2008 प्रकरण संख्या 189/2008 [illegible] अधिशाषी अभि[illegible]नाम इन्द्राज

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजयकी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक – 26.02.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम में वाद–पत्र पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि चक 18 एमओडी में सन 1956 से अवाप्तशुदा भूमि है जिसपर कॉलोनी बनी हुई है। कॉलोनी के चिपते ही चक 18 एमओडी के प. नं. 25/268 (57) किला नं. 19/2, 22, 23, 24, 25, व प. नं. 25/269 (58) के किला नं. 5 में .873 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट की भूमि है। प्रतिवादी ने प्रश्नगत भूमि को अमरजीत से 12.07.01 को खरीद की होना बताया है पूर्व में यह आराजी राष्ट्रपति भारत सरकार की थी। प्रतिवादीगण ने इस गलत अंकन के आधार पर निर्मित कालौनी के किला नं. 18–19 व 22 में अतिक्रमण करने का प्रयास किया। वादीगण व कर्मचारीयों द्वारा रोका गया। सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा में वाद सं0 35/98 त्रिलौकसिंह बनाम सरकार में भी माननीय न्यायालय ने खारिज किया है। गलत प्रविष्ट के आधार पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अधिकार नही है। अतः वाद पत्र स्वीकार करने का कथन किया। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया किया जमाबंदी में जो रकबा गैर मुमकिन रूप से कोठी के नाम दर्ज है इसके अलावा कोई भूमि नही है इसके अलावा कोई भूमि नहीं है व इस भूमि के किला नं0 12 में ही क्वार्टर बने हुए हैं शेष भूमि खाली है प0 नं0 25/268 किला नं0 20 व 21 की .304 है0 भूमि नारायणदास वल्द साहिब दत्ता के नाम है। वादी को कोई अधिकार नहीं है। वाद वादी खारिज करने का कथन किया।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा वादी का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादीगण ने अपनी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किये थे जिन पर कोई गौर नहीं किया है। अपीलाण्ट की सिंचाई कॉलोनी/कोठी अरसा दराज से निर्मित है व इसकी चार दीवारी की हुई है व पेड़ लगाये हुए हैं। गलत प्रविष्ट के आधार पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट/वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हो। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जमाबंदी में जो रकबा गैर मुमकिन रूप से कोठी के नाम दर्ज है। इसके अलावा कोई भूमि नहीं है व इस भूमि के किला नं0 12 में ही क्वार्टर बने हुए हैं शेष भूमि खाली है प0 नं0 25/268 किला नं0 20 व 21 की .304 है0 भूमि नारायणदास वल्द साहिब दत्ता की भूमि है। अपीलाण्ट की अपील सारहीन है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट का कथन है किचक 18 एमओडी में सन 1956 से अवाप्तशुदा भूमि है जिसपर कॉलोनी बनी हुई है। कॉलोनी के चिपते ही चक 18 एमओडी के प. नं. 25/268 (57) किला नं. 19/2, 22, 23, 24, 25, व प. नं. 25/269 (58) के किला नं. 5 में .873 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट की भूमि है। प्रतिवादी ने प्रश्नगत भूमि को अमरजीत से 12.07.01 को खरीद की होना बता[illegible] में यह आराजी राष्ट्रपति भारत सरकार की थी। प्रतिवादीगण ने इस गलत [illegible] के आधार पर निर्मित कालौनी के किला नं. 18–19 व 22 में अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायाला ने अपीलाण्ट/वादी का वाद समुचित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

के आधार खारिज किया है। प्रश्नगत भूम पर वादीगण ने कॉलोनी के चारों तरफ कच्ची दीवार निर्मित की हुई है दीवार के साथ साथ अन्दर की तरफ कॉलानी की सीमा में पेड़ लगे होने का कथन आया है। अपीलाण्ट ने दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जिसमें सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा में वाद संख्या 35/98 अनवानी त्रिलोक सिंह बनाम राज0 राज्य आदि प्रस्तुत हुआ था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2002 को खारिज किया गया है जिस पर विवेचन किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

24/2/21

(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:37 IST
Reason: SelfAttested